

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

संख्या-1/श्रम न्याय-01/2024 श्रं०सं०...../महानिबंधक (प्र०) पटना उच्च न्यायालय, पटना के ज्ञापांक 23497-502 दिनांक 20.03.2025 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 5975, दिनांक 02.04.2025 के आलोक में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत निम्नांकित स्तंभ-2 में अंकित 4 (चार) पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित स्थान पर अवस्थित श्रम न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवपदस्थापन
1	2	3
1	श्री शक्तिधर भारती, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, डालमिया नगर (सासाराम)।	पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ।
2	सुश्री मीना कुमारी, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, मोतिहारी।	पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, भागलपुर।
3	डॉ० मो० फिरोज अकरम, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, भागलपुर।	पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, मोतिहारी।
4	श्री श्यामल कुमार, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ।	पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय, डालमिया नगर (सासाराम)।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुनील कुमार यादव)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम न्याय-01/2024 श्रं०सं०.....12...../पटना, दिनांक- 28/4/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना /सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी /सभी श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी/सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार /सभी उप श्रमायुक्त, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव